

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

गहनू कुमार पिता गोपाल गीणा निवासी जालगपुरा

बनाम

अण्डीलाल पिता देवीलाल गीणा निवासी जालगपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 223 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 395,546,550,557,570,571,572,573,574 कुल किता 09 रकबा 4.4596 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है   ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 395,546,550,557,570,571,572,573,574 कुल किता 09 रकबा 4.4596 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 223 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 223/ 2024 गहेन्द्र कुमार पिता गोपाल मीणा निवासी जालमपुरा, यादराम पिता गोपाल मीणा निवासी, जालमपुरा बनाम, अण्डीलाल पिता देवीलाल मीणा निवासी जालमपुरा, मोहन पिता देवीलाल मीणा निवासी जालमपुरा, भंवरलाल पिता रामलाल मीणा निवासी जालमपुरा, सुरज पिता रामलाल मीणा निवासी जालमपुरा, मिश्रीलाल पिता अण्डीलाल मीणा निवासी जालमपुरा, निर्मल पिता रामकुंवार मीणा निवासी जालमपुरा, सुनिल पिता रामकुंवार मीणा निवासी जालमपुरा, केसर पिता माधू मीणा निवासी जालमपुरा, खाना पिता नामालूम मीणा निवासी जालमपुरा, पप्पू लाल पिता नाथू लाल रेगर निवासी जालमपुरा, महावीर पिता नाथू लाल रेगर निवासी जालमपुरा, दुर्गालाल पिता शिवनारायण मीणा निवासी जालमपुरा, फूलचन्द पिता हीरालाल मीणा निवासी जालमपुरा, शिवराज पिता रामदेव मीणा निवासी जालमपुरा, गदन लाल पिता माधू मीणा निवासी जालमपुरा, गुवाना पिता घन्ना मीणा मीणा निवासी जालमपुरा, सोजीराम पिता सुखा मीणा निवासी जालमपुरा, मोत्या पत्नि पेमराम मीणा निवासी जालमपुरा, सीताराम पिता सुखा मीणा निवासी जालमपुरा, दुर्गालाल पिता शिवनारायण मीणा निवासी जालमपुरा, रामेश्वर पिता माधू मीणा निवासी जालमपुरा, फूलसिंह पिता नामालूम मीणा निवासी जालमपुरा, शिवदान पिता रामलाल उर्फ गोरू मीणा निवासी जालमपुरा, रणजीत पिता कल्याण मीणा निवासी जालमपुरा, मोहन पिता माधू मीणा निवासी जालमपुरा, अम्बालाल पिता शिवनारायण मीणा निवासी जालमपुरा, रंगलाल पिता नामालूम मीणा निवासी जालमपुरा तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 395,546,550,557,570,571,572,573,574 कुल किता 09 रकबा 4.4596 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा